छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

__अपील प्रकरण कमांक 624/2007__

1. **श्री असीमराज लाल जी,** - *अपीलार्थी*
हेमविला- 07/1298, ओम नगर चौक,
जरहाभाठा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय तहसीलदार, बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//__आदेश__//

(दिनांक 15 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री असीमराज लाल जी द्वारा दिनांक 24.01.2007 को तहसीलदार, बिलासपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर उन्हें समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.03.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील का निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । दिनांक 31.08.2007 को संबंधित रिकार्ड का एक सप्ताह में नि:शुल्क निरीक्षण कराने एवं तत्पश्चात् 15 दिवस में नि:शुल्क जानकारी देने का निर्देश दिया गया था तथा यदि रिकार्ड कहीं अन्य जमा हो तो उसका पता भी देने का निर्देश दिया गया था । सुनवाई के अंतिम दिन अपीलार्थी ने अनुपस्थिति अनुमति के साथ ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अनुरोध किया है । तहसीलदार ने अपने उत्तर में यह बताया है कि आवेदित अवधि में पदस्थ तहसीलदार के दो हस्ताक्षर शुदा दस्तावेज की प्रति देने का प्रयास किया गया था, किन्तु आवेदक न्यायालय में आने के बावजूद बिना जानकारी लिये वापस चले गये और दिनांक 17.09.2007 को यह लिखकर पत्र दिया कि पूर्व के तहसीलदार सेवायें देकर जा चुके हैं और कर्तव्य पालन में रूचि नहीं दिखाई तो आप भी मेरे प्रकरण से अपने आप को मुक्त रखे । उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक ही जानकारी प्राप्त करने में रूचि नहीं रखते हैं, अत: ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करने का प्रश्न उपस्थित नही होता

है और न ही अपीलार्थी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता रखता है । पूर्व में रिकार्ड नही मिल रहा था और हस्ताक्षर की प्रतियॉं ढूंढकर दी जा रही थी, किन्तु आवेदक ने उन्हें प्राप्त करने में रूचि नहीं दिखाई । अत: अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो नायब तहसीलदार के वेतन देयक की उपलब्ध प्रति में जो हस्ताक्षर है, उनकी छायाप्रति अपीलार्थी को डाक के पते पर नि:शुल्क भेजी जावे ।

3/ अत: उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त